न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी–श्री श्रवणसिंह राठौड आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या–55/20 (राजस्व प्रार्थना पत्र)

दायर दिनाक:–7.10.2022
निर्णय दिनाक:– 5-2-2024

अनवान

1– पन्नालाल पिता प्रभु कलाल निवासी वमासा तहसील सागवाडा
2– श्रीमति सविता पत्नि पन्नालाल कलाल निवासी वमासा तहसील सागवाडा

(प्रार्थीगण)

बनाम

1– गौतम पिता वेलजी गायरी निवासी वमासा तहसील सागवाडा
2– भुमिधारी राज्य सरकार जरीये तहसीलदार सागवाडा

(अप्रार्थीगण)

वकील प्रार्थी –श्री कपिल भट्ट
अप्रार्थी 1 – निखिल सोमपुरा
अप्रार्थी 2– पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट

आदेश

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की भुमि खसरा नम्बर 3622/2209 रकबा 0.0809 हेक्टर की मौजा वमासा भु.नि. क्षैत्र सरोदा मे स्थित है प्रार्थीगण को उक्त भुमि दिनाक 18.02.2013 को मिसल संख्या 723/13 त्तकालिन उपखण्ड अधिकारी के द्वारा नियमानुसार आवटन की गई है। उक्त भुमि के पुर्व मे रास्ता,पश्चिम मे मुख्य सडक,उत्तर मे गोतम गायरी का खेत व दक्षिण मे रास्ता है जिसका नक्शा पेश है। उक्त आवटन आदेश के पश्चात् उक्त भुमि की पैमुदगी नक्शे लठ्ठे मे करनी राजस्व कर्मचारी की गलती से रह गयी है। जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा विवाद करने से हुई। अप्रार्थी के द्वारा केवल भुमि को पक्षकार बनाया जा न्यायालय मे प्रकरण संख्या 10/2020 पेश कर प्रार्थीगण कब्जेशुदा भुमि के स्थान पर अपनी आवटित भुमि को पैमूद करवा लिया है। प्रार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की भुमि खसरा नम्बर 3622/2209 रकबा 0.0809 हेक्टर की मौजा वमासा भु.नि. क्षैत्र सरोदा प्रार्थना पत्र बताए नक्शे के अनुसार नक्षे लठ्ठे मे पैमुद कराने का अधिकारी है।

यह कि प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र नियमानुसार दर्ज किया जा अप्रार्थी को सम्मन जारी किए गये सम्मन तामिल पर अप्रार्थी संख्या 1 की तरफ से आदेश 1 नियम 10 व आदेश 7 नियम 11 सपठीत धारा 151 जा.दी. पेश किया जा प्रार्थना पत्र चलने

5/2/24
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned with OKEN Scanner

योग्य नही होने एव अप्रार्थी संख्या 1 का प्रार्थीगण की भुमि से कोई सरोकार नही होना बताया जा अपना खसरा नम्बर 3420/2209 रकबा 0.2427 हेक्टर हो न्यायलय के आदेश से पैमुद किया जाना बताया जा प्रार्थना पत्र मे अप्रार्थी को पक्षकार के रूप मे हटाए जाने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा हल्का पटवारी की रिर्पोट पर अपना जवाब पेश कर कहा गया की गॉव के मौतबिरान द्वारा बताया गया की प्रार्थीगण के द्वारा जो भुमि अपनी बताई जा रही है उस भुमि पर उनका कभी कोई कब्जा रहा ही नही है। प्रार्थीगण के द्वारा जो भुमि बताई जा रही है वो खसरा नम्बर 3420/2209 रकबा 0.2427 हेक्टर हो अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। हल्का पटवारी के द्वारा पेश मौका पर्चा रिर्पोट मय अन्य दस्तावेज के साथ अपना जवाब मय रिर्पोट पेश की गई जिस पर अप्रार्थी 2 भुमिधारी के द्वारा अपना जवाब पेश कर अशुद्वि को शुद्व करना अनुचित ठहराया गया। अप्रार्थी 1 का जवाब शामील पत्रावली किया गया जिस आधार पर वाद विषय पर विवाद शेष नही होने से प्रकरण का निस्तारण इस स्टेज पर किया जाता है।

इस स्टेज पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी 1 के प्रार्थना पत्र का संयुक्त रूप निस्तारण किया जा रहा है। न्यायालय द्वारा पत्रावली का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया पत्रावली मे उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार मौजा वमासा मे खाता संख्या 196/0 खसरा नम्बर 3622/2209 रकबा 0.0809 हेक्टर की भुमि के हक हकुक के स्थान पर वर्तमान जमाबन्दी अनुसार राजस्व रेकार्ड मे अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खसरा नम्बर 3420/2209 रकबा 0.2427 हेक्टर दर्ज रेकार्ड है। अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 व आदेश 7 नियम 11 सपठीत धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र मे बताए गए तथ्य हल्का पटवारी के द्वारा गॉव के मौतबिरान के रूबरू बनाया गया पर्चा मौका सही होना प्रतित होता है। प्रार्थीगण के खसरा नम्बर की पैमुदगी की कोइ अशुद्वि नही हुई है। प्रार्थीगण के द्वारा अपनी भुमि मौजा वमासा मे उसके स्थान पर पैमुद नही होकर अन्यत्र कहा पैमद हुई है अथवा नक्षे लठ्ठे मे पैमुद ही नही हुई है के संबंध मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किए गए है। अप्रार्थी संख्या 1 की भुमि मौजा वमासा मे पैमुद है उस भुमि पर प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है ऐसी भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। अप्रार्थी संख्या 1 की भुमि खसरा नम्बर 3420/2209 रकबा 0.2427 हेक्टर के स्थान पर सुधार किया जाकर मौजा वमासा मे प्रार्थीगण खसरा नम्बर 3622/2209 रकबा 0.0809 हेक्टर को पेमुद किया जा नक्षे लठ्ठे सुधार किया जा दर्ज रेकार्ड किया जाना न्यायोचित्त प्रतित नही होता हैं। उपरोक्त सम्पुर्ण विवेचन से प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 136 रा.ले.रे.एक्ट अस्वीकार कर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाती है। पत्रावली नम्बर के कम हो दाखिल दफ्तर होवें।

निर्णय आज दिनाक 5-2-2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

5/2/24

(श्रवणसिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned with OKEN Scanner